



**POLICE COMMISSIONERATE**



**GAUTAM BUDH NAGAR**

**सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.03.2026**

1. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये का इनामी व गैंगस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 25.03.2026 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 25 हजार का इनामी व गैंगस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त नौशाद उर्फ टोला पुत्र युसुफ मलिक निवासी पेट्रोल पम्प वाली गली मोरना थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष को सैक्टर 44 कट से गिरफ्तार किया गया है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--** नौशाद उर्फ टोला पुत्र युसुफ मलिक निवासी पेट्रोल पम्प वाली गली मोरना थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष ।

**आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0 -0855/2021 धारा 414 भादवि थाना सैक्टर- 58 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 -0675/2018 धारा 304 भादवि थाना सैक्टर-24 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 -0170/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैक्टर-24 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 -117/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
5. मु0अ0सं0 -118/2025 धारा 303(2), 317(2)बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
6. मु0अ0सं0 119/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
7. मु0अ0सं0 120/2025 धारा 109(1), 317(5)बीएनएस व 3,25,27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
8. मु0अ0सं0 0161/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-49नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
9. मु0अ0सं0 0162/2025 धारा 109, 3(5)बीएनएस व 3,25,27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-49नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
10. मु0अ0सं0 116/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

**2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15000 रुपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 कारतूस बरामद ।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 25.03.2026 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 154/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15000 रुपये का ईनामी अभियुक्त अभिषेक गौतम उर्फ रवि पुत्र गोविन्द को ग्राम खेडी कट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है ।

अभियुक्त द्वारा अपने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित गैंग बनाकर घरों में घुसकर चोरी कर आर्थिक लाभ कमाया जाता था। इनके द्वारा पूर्व में घटित चोरी व नकबजनी की घटनाओं के सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा द्वारा 15 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था ।

**अभियुक्त का विवरण--** अभिषेक गौतम उर्फ रवि पुत्र गोविन्द निवासी गौतमपुरी, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर उम्र 31 वर्ष ।

**पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0 126/2025 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 415/2025 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 420/2025 धारा 305/331(4)/317(2)बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 423/2025 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 430/2025 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 154/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 164/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी का विवरण--**

01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर

**3. थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा व मोटरसाइकिल खोलने में प्रयुक्त उपकरण बरामद ।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 25.03.2026 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.इमरान पुत्र रजबली 2.मो0 सोनू पुत्र सरफुद्दीन को ईएसआई कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर के खुले हुये पार्ट्स, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा व मोटरसाइकिल खोलने में प्रयुक्त उपकरण पेचकस व रिंच बरामद हुए हैं ।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करके उसके पार्ट्स अलग-अलग कर कबाड़ में बेचने का काम करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उक्त मोटरसाइकिल को कुछ दिन पहले उनके द्वारा वसुन्धरा मार्केट, दिल्ली से चोरी किया गया था एवं इसके पार्ट्स अलग-अलग कर ई रिक्शा पर रखकर कबाड़ में बेचने जा रहे थे ।

### **अभियुक्तों का विवरण--**

1. इमरान पुत्र रजबली निवासी हरौला, सेक्टर-5, थाना फेस-1, नोएडा मूल निवासी ग्राम नंगला बारा, थाना इस्लामनगर, जिला बदायूं उम्र 20 वर्ष ।
2. मो0 सोनू पुत्र सरफुद्दीन निवासी जे0जे0 कॉलोनी, सेक्टर-9, थाना फेस-1, नोएडा मूल पता हरपुर कोठी, जिला सीवान, बिहार उम्र करीब 25 वर्ष ।

### **बरामदगी का विवरण--**

- 1- चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रजि0 नं0 DL3SEN4271 के खुले हुये पार्ट्स (सम्बन्धित मु0अ0सं0 6253/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली)
- 2- घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा (सीजशुदा)
- 3- मोटरसाइकिल खोलने के उपकरण (02 पेचकस व 10 रिंच)

### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0-6253/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली।
2. मु0अ0सं0-89/2026 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
3. मु0अ0सं0-84/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना फेस-1, नोएडा बनाम इमरान।